

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004—पौष 10, शक 1926

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ /न. 193/अ. नि./180/च/2004.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) तथा (1-क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, कर्लिंग विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना संबंधी अधिसूचना क्र. एफ-73-80-2003 उ. शि.-38 दिनांक 1-7-2003, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कारणों से निरसित करता है :-

- (1) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निःकाय उक्त दशवि अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (01) के खण्ड (ख) (I) के प्रावधान अनुसार विन्यास निधि 30 जून, 2004 तक स्थापित न कर सका.
- (2) उक्त विश्वविद्यालय का प्रायोजक निःकाय इस बात का प्रमाण 30 जून, 2004 तक न दे सका कि उसके आधिपत्य में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (01) के खण्ड (ख) (II) के अनुसार भूमि है या उसके एवज में अतिरिक्त राजि जमा की गयी है.

Raipur the 31st December, 2004

NOTIFICATION

No. F. 193/MC/180/F/2004. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Sub-section (1) (a) and (1-A) of Section 4 of the The Chhāttisgarh Niji Kshetra Vīswavidhyālaya (Sthapana Aur Viniyamān) Adhīniyam, 2002 (No. 2 of 2002), the State Government hereby repeals the Notification No. F-73/80/2003/HE/38 dated 1-7-2003 constituting the "Kalinga University, Raipur" for the following reasons :-

- (1) The Sponsoring Body of the above said University failed to establish Endowment Fund as laid down under clause (b) (i) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004.
- (2) The Sponsoring Body of the above said University failed to give proof of being in possession of the land for the main campus of the University as laid down under clause (b) (ii) of Sub-section (1) of Section 4 of the above said Act by 30-6-2004 nor has deposited additional fund in lieu thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. न्ही. प्रसाद, सचिव.